

No. IAHE/Trg./02/RSA(C)/2021-22(Part-I)

Dated 17.11.2021

"सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों" के लिए 15-दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और संचालन चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है। यह माना जाता है कि क्षमाशील सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने के लिए सड़कों को सावधानीपूर्वक सड़क सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता होती है। हालांकि, देश में प्रशिक्षित और योग्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरों और लेखा परीक्षकों की भारी कमी है।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक बनने के लिए 15 दिनों के प्रमाणन अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए सामग्री को अंतिम रूप दे दिया है। मंत्रालय, भारतीय सड़क कांग्रेस और आईएचई सहित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईएचई ने अबतक दो 15 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम को आयोजित किया गया है।

3. पूरी तरह से आवासीय 15 दिनों के पाठ्यक्रम को 3-17 जनवरी, 2022 से करने की योजना बनाई है। प्रशिक्षण मानक पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा व्याख्यान, क्षेत्र कार्य और शैक्षणिक कार्यों के साथ संयुक्त सीखने के व्यावहारिक / प्रदर्शन पहलुओं के माध्यम से निर्धारित होगा। पाठ्यक्रम लगातार दो सप्ताहों में बिना विराम के आयोजित किया जाएगा जिसमें सिद्धांत, व्यावहारिक और सत्रीय कार्य शामिल हैं। इस कोर्स में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 30 प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई के लिए पंजीकरण फॉर्म के साथ प्रतिभागियों के लिए योग्यता और अनुभव की आवश्यकता, पाठ्यक्रम मॉड्यूल और सामग्री, प्रमाणन के लिए मूल्यांकन मानदंड आदि सहित विवरण देने वाला एक विवरणिका यहां संलग्न है।

4. **पाठ्यक्रम शुल्क:** 15 दिनों के पाठ्यक्रम की कुल लागत रु. 88,500/- [पाठ्यक्रम शुल्क (रु. 75,000/-) + जीएसटी @ 18% पाठ्यक्रम शुल्क (रु. 13,500/-)] प्रति प्रतिभागी। शुल्क में आईएचई छात्रावास में प्रतिभागियों का साइट का दौरा, आवास और बोर्डिंग शामिल है।

5. **मूल्यांकन मानदंड:** पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए, प्रतिभागी को प्रमाणन के लिए न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने होंगे। (उपस्थिति के लिए 10% वेटेज, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के लिए 30% वेटेज, द्वारा दी गई प्रस्तुति के लिए 15% वेटेज) प्रत्येक प्रतिभागी और परीक्षा के लिए 45% वेटेज। यदि कोई उम्मीदवार कुल मिलाकर 75% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 75% प्राप्त करने के लिए केवल (15-दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अगले बैच के प्रतिभागियों के साथ) परीक्षा दोहरानी होगी। हालांकि, उम्मीदवार को फिर से संस्थान को कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आईएचई असफल उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित नहीं करेगा।

6. इच्छुक प्रतिभागियों/संगठनों से अनुरोध है कि वे अपना नामांकन पंजीकरण फॉर्म और अपेक्षित शुल्क की राशि के साथ 31.12.2021 तक भेज दें।



(अनिल मीणा)
उप निदेशक,
निदेशक आईएचई, के लिए,

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष /Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल / Email: director-iahe@gov.in /Website/ वेबसाइट: iahe.org.in